AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेसनोट एत्माद्दौला जनपद आगरा।   दिनांक 27.05.2022

थाना एत्माद्दौला पुलिस टीम द्वारा ससुरालीजन द्वारा दहेज मांगने व मारपीट करने वाले वांछित एक अभियुक्ता सहित कुल 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

दिनांक 28.02.2022 को वादिया द्वारा थाना एत्माद्दौला पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 26.08.18 को प्रार्थिया की शादी दोनों की रजामन्दी से हुयी थी। मैं अपने साथ काफी नगदी, ज्वैलरी व सामान लायी थी। मेरे ससुरालीजन द्वारा पैसों की जरूरत के बहाने मुझसे नगदी, ज्वैलरी हड़प ली। मांगने पर मेरे साथ मारपीट करने पर उतारू हो जाते। वादिया का पति सुनील शराब पीने का आदी है और मेरे चरित्र पर अनावश्यक प्रश्नचिन्ह लगाकर मारपीट करता। इसकी शिकायत उसकी माँ गुड्डी व बड़े भाई सनी एवं भाभी से की तो उनके द्वारा कुछ नहीं कहा गया। वादिया परेशान होकर उनका घर छोड़कर किराये के मकान में रहने लगी। सुनील ने मेरा पता लगाकर मेरे कमरे पर आकर गाली गलौच कर मारपीट कर दी, जिसकी शिकायत सनी से की तो वह घर आया और अपने साथ पत्नी के रूप में रहने के लिए बाध्य करने लगा और मेरे साथ गलत काम किया।

दिनांक 15.02.2022 की शाम मैं अपने घर जा रही थी, जहां सुनील 3–4 लोगों के साथ शराब पीकर आया और कहने लगा कि मेरे साथ नहीं रहेगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, विरोध करने पर गाली गलौच करते हुए मारपीट करने लग एवं शोर होने पर राहगीरों द्वारा बचाया गया। सुनील की माँ से शिकायत करने पर मुझे सम्पत्ति में से जमीन व 05 लाख रूपये देने का आश्वासन दिया गया। दिनांक 01.01.22 को जेठ सनी घर आया और जबरदस्ती गलत काम किया। इस सम्बन्ध में थाना एत्माद्दौला पर मु0अ0सं0 124/22 धारा 376/452/406/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी छत्ता के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी एत्माद्दौला को टीम गठित कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में दिनांक 30.05.2022 को पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण सुनील व गुड्डी देवी इस समय अपने घर आये हुए हैं, यदि जल्दी की जाये तो गिरफ्तार किये जा सकते हैं। इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा बताये स्थान पर पहुंच एक बारगी दबिश देते हुए दोनों अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :–

01. सुनील कुमार पुत्र स्व0 रामकिशन औरंगाबाद जाटव मौहल्ला थाना सदर जनपद आगरा।
02. गुड्डी देवी पत्नी स्व0 रामकिशन औरंगाबाद जाटव मौहल्ला थाना सदर जनपद आगरा।

आपराधिक इतिहास का विवरण :–

01. मु0अ0सं0 124/22 धारा 376/452/406/323/504/506 भादवि थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।

पुलिस टीम का विवरण :–

01. प्रभारी निरीक्षक श्री सत्यदेव शर्मा थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
02. उ0नि0 राजकुमार कुशवाह थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
03. है0का0 शीश कुमार थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
04. का0 अनुराग थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
05. म0का0 प्रियंका त्यागी थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।